अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

का0आ0सं0–निग / सारा–1 (पथ) एन0एच0–64 / 2014 पटना, दिनांक :– 14/3/19

कार्यालय आदेश – 75

श्री धर्मेन्द्र कुमार धर्मकान्त, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति : कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–2 C (डिहरी–तिलौथु एंव तिलौथु–रोहतास) के पथ कार्य में पायी गयी त्रुटियों / अनियमितताओं के लिए प्रपत्र–'क' के तहत कुल–02 (दो) आरोपों को गठित करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–264–सहपठित ज्ञापांक–5024 (ई) अनु0 दिनांक–24.10.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालित विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत संचालन पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2673 (अनु0) दिनांक–27.08.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के तहत श्री धर्मकान्त के विरूद्ध गठित आरोपों के अन्तर्गत संचालन पदाधिकारी द्वारा यह अभिमत गठित किया गया कि Bitumen Content में आरोपित को पूर्णरूप से दोषी मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। संचालन पदाधिकरी के उक्त अभिमत में स्वाभाविक रूप से आरोपीं के आंशिक रूप से दोषी माने जाने का अभिमत अंतर्निहित होने का परिचायक है।

3. संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अन्तर्गत गठित आरोप के आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में में श्री धर्मकान्त से विभागीय पत्रांक–7516 (ई०) अनु0 दिनांक–29.10.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

4. श्री धर्मकान्त द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–19.11.2018 एवं पत्रांक–शून्य दिनांक–26.11.2018 के माध्यम से क्रमशः द्वितीय कारण पृच्छा एवं पूरक द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के माध्यम से मुख्य रूप से निम्नवतः तथ्य / तर्क प्रस्तुत किये गये हैं:–

(i) संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये परस्पर विरोधाभाषी तथ्यों / तर्को के आधार पर दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है।

(ii) उड़नदस्ता के गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन में अंकित बिटुमेन की औसत मात्रा, गठित आरोप पत्र में बिटुमेन की औसत मात्रा से भिन्न है तथा एक ही RD पर LHS, Centre और RHS में बिटुमेन प्रतिशत में अधिक अंतर है। इस प्रकार गलत जाँच प्रतिवेदन एवं गलत तथ्यों के आधार पर आरोप का गठन किया गया है।

(iii) उनके द्वारा समर्पित बचाव–बयान में अंकित तथ्यों को संचालन पदाधिकारी के द्वारा उचित मानते हुए बिटुमेन कन्टेन्ट में पायी गयी कमी के लिए मुख्य रूप से प्रमंडलीय गुण नियंत्रण इकाई को जिम्मेवार माना गया है, परन्तु बिना किसी ठोस आधार / तर्क / तथ्य / साक्ष्य के संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित को पूर्ण रूप से दोषी मानना उचित प्रतीत नहीं होता है– का अभिमत गठित किया गया है।

(iv) आलोच्य कार्य उनके द्वारा काफी प्रतिकूल स्थिति में सम्पन्न कराया गया था क्योंकि विषयांकित पथ (डिहरी–तिलौथु–रोहतास पथ) का सम्पूर्ण हिस्सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत था, जिसका उल्लेख उड़नदस्ता जाँचदल के द्वारा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन में भी किया गया है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री धर्मकान्त द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर की विभाग के स्तर पर विश्लेषण किया गया। विश्लोषणोंपरांत विषयांकित मामला तकनीकी प्रकृति का होने की स्थिति में श्री धर्मकान्त के विरूद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की सम्यक् रूप से विभागीय तकनीकी समिति से समीक्षा करायी गयी।

6. विभागीय तकनीकी समिति द्वारा मामले का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। अध्ययनोपरांत यह पाया गया कि श्री धर्मकान्त के द्वितीय कारण पृच्छा एवं पूरक द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है, जिसके फलस्वरूप आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के संदर्भ में श्री धर्मकान्त को आरोप मुक्त किये जाने का काई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता हैं।

तदनुसार प्रश्नगत मामले की विभागीय समीक्षा के उपरांत गठित आरोप के आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में श्री धर्मेन्द्र कुमार धर्मकान्त, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति : कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना के द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर एवं पूरक द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुऐ सम्यक विचारोपरांत उनके विहित समानुपातिक दायित्व को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (V) के तहत निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) **"दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"।**

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–

पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी–ऑन–सोन/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना/उप सचिव, (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा/मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3/6/13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार धर्मकान्त, कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 2110 (E)

पटना, दिनांक:– 14/3/19

प्रतिलिपि:–आई० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

13/3/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।